**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *139**

**(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता**

***139. श्रीमती जोबा माझीः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण में गरीब लाभार्थियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण में छत की चादरों के उपयोग जैसे विकल्पों की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा पूर्वोत्तर राज्यों , पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित) में 1.30 लाख रुपये की प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इकाई सहायता के अतिरिक्त, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अनिवार्य कन्वर्जेंस के माध्यम से 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी सुगम कराई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) , मनरेगा या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च, 2029 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के अनुसार होती है और वर्तमान में , इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से पीएमएवाई-जी को लागू कर रहा है ताकि 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 4.95 करोड़ पक्के आवास बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। 24 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.12 करोड़ आवास आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.81 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र आवासों के निर्माण के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान के अलावा अपने संसाधनों से भी अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर रहे हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना की शुरुआत अर्थात 2016-17 से लेकर 2025-26 तक (24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,61,319.43 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों के निर्माण में वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को आवास निर्माण में सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें आपदा प्रतिरोधी विशेषताओं सहित विभिन्न प्रकार के आवास डिज़ाइन शामिल हैं जो उनकी स्थानीय भौगोलिक-जलवायु परिस्थितियों , सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अनुकूल हैं।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है।

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण अनुकूल हरित निर्माण डिज़ाइनों , प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर निधि/सहायता और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से निधि प्राप्त कर सकते हैं।

iv. ग्राम पंचायतें लाभार्थियों को उचित दरों पर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा प्रदान कर सकती हैं और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की पहचान करने में सहायता कर सकती हैं।

v. इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) , पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए इसका उत्पादन कर सकते हैं।

vi. पीएमएवाई-जी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसमें शौचालय निर्माण और रोजगार के अवसर आदि के लिए सहायता शामिल है।

*****